



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी

प्रेस-नोट

दिनांक:-05.12.2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अभियुक्त सुनील उर्फ रतन सोनकर को पॉक्सो से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम 07 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना-रामनगर में पंजीकृत मु0आ0सं0- 0047/2015, धारा- 354ए, 354बी, 323, 506 भादवि व धारा- 7/8 पॉक्सो से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील उर्फ रतन सोनकर पुत्र स्व0 कोचन निवासी- टेंगरा मोड़ थाना रामनगर वाराणसी को थाना-रामनगर पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 05.12.2025 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायालय पॉक्सो - III जनपद वाराणसी द्वारा अभियुक्त सुनील उर्फ रतन सोनकर उपरोक्त को धारा- 354बी, 323, 506 भादवि व धारा- 7/8 पॉक्सो में दोषसिद्ध करते हुए अधिकतम 07 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी